मु0न0:– 42/2023 उनवानः– महेश बनाम सरकार

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0. 42/2023 दिनांकः 16.06.2023

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. महेश पुत्र गिल्लू मीना
2. रामनाथ पुत्र गिल्लू मीना

निवासी गोपालपुरा तहसील टोडाभीम।

प्रार्थी

बनाम

1. रामचरण पुत्र सम्पत मीना
2. रामकेश पुत्र रामचरण मीना
3. श्याम बिहारी पुत्र रामचरण मीना
4. हंसराम पुत्र रामचरण मीना
5. अभिषेक उर्फ अमित पुत्र रामकेश मीना
6. अरविन्द पुत्र रामकेश मीना

निवासीयान गोपालपुरा तहसील टोडाभीम।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट, प्रार्थी
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 11.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है, कि ग्राम गोपालपुरा की आराजी ख0न0 105/0.20, 13/0.17, 138/0.11, 143/0.31, 145/508/0.04, 208/0.57, 209/0.05, 252/0.34, 38/0.27, 413/495/0.05, 414/0.38, 434/0.14, 78/0.21, 8/0.12 कुल किता 14 कुल रकवा 2.96 है0 मे सायलान 1/3 हिस्से का तथा ख0न0 147/0.11, 148/0.11, 187/0.05, 227/0.45, 233/0.21, 234/0.21, 359/0.06, 405/0.25, 44/0.19, 63/0.02, 64/0.26 कुल किता 11 कुल रकवा 1.92 है0 मे सायलान 1/3 हिस्से का, ख0न0 31/0.04, 32/0.03, 37/0.02 कुल किता 3 कुल रकवा 0.09है0 मे सायलान 1/12 हिस्से का, ख0न0 33/0.07, 34/0.07, 35/0.07, 36/0.06, कुल किता 4 कुल रकवा 0.27 है0 मे सायलान 1/6 हिस्से का, ख0न0 104/485/0.15 कुल किता 2 कुल रकवा 0.30 है0 मे सायलान 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से की खातेदारी गैरसायल न0 1 व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 16 की मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है। सायलान व गैरसायल न0 1 व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 16 ने सहूलियत के हिसाब से मौक पर बटवारा कर रखा है। गोपालपुरा रोड रास्ते की तरफ प्रत्येक खसरा न0 पर सायलान का अपनी खातेदारी के अनुसार कब्जा काश्त है तथा कुछ आराजी पर रिहायश कर रखी है।

बाका दिनांक 27.04.2023 को गैरसायलान सायलान के पास आये और धमकी दी कि गोपालपुरा रोड की भूमि से कब्जा हटालो अन्यथा तुम्हे मारपीट कर भगा देगे। सायलान ने उनको काफी समझाया कि हमारा गोपालपुरा रोड पर स्थित भूमि पर हर ख0न0 पर मुताबिक खातेदारी बराबर–बराबर के हिस्से हो रहे है, तुम हमको क्यो परेशान कर रहे हो। इस पर वे नाराज ओ गये और सायलान को बेदखल करने [illegible] नही करने की धमकी दी है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित है। और सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति होना संभव नही है। गैरसायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान ग्राम गोपालपुरा की आराजीयात ख0न0 105/0.20, 13/0.17, 138/0.11, 143/0.31, 145/508/0.04, 208/0.57, 209/0.05, 252/0.34, 38/0.27, 413/495/0.05, 414/0.38, 434/0.14,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:35:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

78/0.21, 8/0.12 कुल किता 14 कुल रकवा 2.96 है0 ख0न0 147/0.11, 148/0.11, 187/0.05, 227/0.45, 233/0.21, 234/0.21, 359/0.06, 405/0.25, 44/0.19, 63/0.02, 64/0.26 कुल किता 11 कुल रकवा 1.92 है0 ख0न0 31/0.04, 32/0.03, 37/0.02 कुल किता 3 कुल रकवा 0.09है0 ख0न0 33/0.07, 34/0.07, 35/0.07, 36/0.06, कुल किता 4 कुल रकवा 0.27 है0 मे ख0न0 104/485/0.15 कुल किता 2 कुल रकवा 0.30 है0 मे सायलान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने उपस्थिति दर्ज करवाकर जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से पर गैरसायलान काबिज काश्त है। गैरसायलान पूर्व मे जहा पर काबिज थे वही पर आज भी काबिज है। सायलान द्वारा समस्त फैक्टस को छुपाते हुये गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है। सायलान को यह जानकारी है कि गैरसायलान अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वर्णित आराजीयात को बुजुर्गो के समय से ही 50 वर्ष पूर्व हो रहा है उसी अनुसार सायलान व गैरसायलान अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज है दावा पेश करने से पूर्व आराजी ख0न0 105, 143, 233, 234 को गैरसायल न0 1 द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा मु0 बरफी मु0 रेशम के ह कमे करा दिया उसके बावजूद भी पक्षकार नही बनाया है जबकि दावा बटवारे का किया है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, खारिज योग्य है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी न0 1 व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 16 की मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी न0 1 व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 16 ने सहूलियत के हिसाब से मौक पर बटवारा कर रखा है। गोपालपुरा रोड रास्ते की तरफ प्रत्येक खसरा न0 पर प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी के अनुसार कब्जा काश्त है तथा कुछ आराजी पर रिहायश कर रखी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित है। और सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जार नही की गई तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति होना संभव नही है। गैरसायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ स्वीकार कर सायलान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीगण वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से पर गैरसायलान काबिज काश्त है। गैरसायलान पूर्व मे जहा पर काबिज थे वही पर आज भी काबिज है। सायलान द्वारा समस्त फैक्टस को छुपाते हुये गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है। सायलान को यह जानकारी है कि गैरसायलान अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वर्णित आराजीयात को बुजुर्गो के समय से ही 50 वर्ष पूर्व हो रहा है उसी अनुसार सायलान व गैरसायलान अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज है दावा पेश करने से पूर्व आराजी ख0न0 105, 143, 233, 234 को गैरसायल न0 1 द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा मु0 बरफी मु0 रेशम के ह कमे करा दिया उसके बावजूद भी पक्षकार नही बनाया है जबकि दावा बटवारे का किया है। इससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:37 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण:-** [illegible] जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता न0 63 मे कुल किता 14 कुल रकवा 2.[illegible] है0 मे प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के तथा अप्रार्थी न0 1 हिस्सा 1/2 का , खाता न0 64 कुल किता 11 कुल रकवा 1.92 है0 मे प्रार्थीगण 1/3 हिस्से का तथा अप्रार्थी न0 1 हिस्सा 1/2 का, खाता न0 41 कुल किता 3 कुल रकवा 0.09 है0 मे प्रार्थीगण 1/12 हिस्से के तथा अप्रार्थी न0 1 हिस्सा 1/8 का, खाता न0 67 कुल किता 4 कुल रकवा 0.27 है0 मे

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण 1/6 हिस्से के तथा अप्रार्थी न0 1 हिस्सा 1/4 का, खाता न0 66 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 मे प्रार्थीगण 1/6 हिस्से के तथा अप्रार्थी न0 1 हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे कब्जे काश्त का अनुतोष चाहा है। पत्रावली मे प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा की हो, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे मुताबिक बटवारा प्रस्ताव कब्जा तय होना है। प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थी न0 1 व अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है इसलिये सहखातेदारान को पाबन्द नही किया जा सकता। उक्त विवेचन व पत्रावली मे शामिल साक्ष्य, सबूतो के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित नही है।

2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होने तथा ठोस साक्ष्य/आधार सायलान द्वारा पत्रावली मे पेश नही करने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित नही है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः— प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो वर्तमान मे खातेदारी अनुसार सायलान को अपूर्तनीय क्षति नही होकर गैरसायलान को क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, तथा अपूर्तनीय क्षति सायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner